कार्यालय जिलाधिकारी, खीरी।

(आबकारी अनुभाग)

संख्या– 745 /व्यवस्थापन/2020–21/खीरी/दिनांक: 25/01/2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–11/2020/155 ई–2/तेरह–2020–01/2020 दिनांक:24–01–2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–26444/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2020–21 दिनांक:25–01–2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद खीरी में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक:28–01–2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक:28–01–2020 (पूर्वान्ह 11:00बजे) से दिनांक:03–02–2020 (पूर्वान्ह 11:00बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन नवीनीकरण के पष्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक:18–02–2020, 12–03–2020 एवं 24–03–2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाइट **www.kheri.nic.in** विभागीय वेबसाइट **www.oldupexcise.in** तथा ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर देखी जा सकती है।

25/1/2020

(कुलदीप दिनकर)
जिला आबकारी अधिकारी,
खीरी।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
खीरी।

संख्या तथा दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त निम्नांकित को इस आशय से कि कृपया इसकी प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें:–

1– जिला संवाददाता,दैनिक समाचार–पत्र (दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान) लखीमपुर–खीरी कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को अगले अंक में प्रत्येक दशा में उपरोक्त प्रारूप में (साइज 13 से0मी0×13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– समस्त तहसीलदार, जनपद–खीरी।

3– सहायक सूचना निदेशक, जनपद–खीरी।

4– कार्यालय नोटिस बोर्ड।

25/01/2020

जिला आबकारी अधिकारी,
खीरी।

Vinit 25/1/2020 दैनिक जागरण

Kamal 25/1/2020 दैनिक हिन्दुस्तान